

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

1.अपील संख्या - 2169 / 2008 / जयपुर

2.अपील संख्या - 2170 / 2008 / जयपुर

3.अपील संख्या - 309 / 2009 / जयपुर

4.अपील संख्या - 310 / 2009 / जयपुर

सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर वृत-आई, जयपुर.

....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स मैनसन लेबोटैक्स प्रा. लिमिटेड, डी-93, श्यामनगर, जयपुर

.....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री वी. श्रीनिवास, अध्यक्ष

श्री राजीव चौधरी, सदस्य

उपस्थित ::

श्री रामकरण सिंह

उप-राजकीय अभिभाषक

श्री अलकेश शर्मा

अधिकृत प्रतिनिधि

....अपीलार्थी की ओर से

.....प्रत्यर्थी की ओर से

दिनांक :18.08.2017

निर्णय

1. उक्त चारों अपीलें सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, वृत-आई, जयपुर (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा अपील उपायुक्त (अपील्स), तृतीय एवं चतुर्थ, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (जिसे आगे "केन्द्रीय अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 9(2) एवं केन्द्रीय अधिनियम सपटित राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 9 के अन्तर्गत अपील संख्या 144/सीएसटी/जी/2005-06, अपील संख्या 144/सीएसटी/जी/2006-07 में पारित पृथक-पृथक आदेश दिनांक 28.12.2007 एवं अपील संख्या 92/सीएसटी/जी/2007-2008 एवं अपील संख्या 46/अपील/चतुर्थ/2008-09/आई में पारित पृथक-पृथक आदेश दिनांक 24.10.2008 के विरुद्ध पेश की गई हैं।
2. उक्त चारों अपीलों में निर्णय हेतु समान बिन्दु निहित होने से इनका निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति चारों पत्रावलियों पर पृथक-पृथक रखी जा रही हैं।
3. उक्त प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आलोच्य अवधि 2002-03, 2003-04, 2004-05 एवं 2005-06 की अवधि के दौरान प्रत्यर्थी व्यवहारी क्रमशः रू. 9,36,20,308/-, रू. 91,87,312.45, रू. 8,05,417/- एवं रू. 43,17,150/- के बिक्री स्टॉक ट्रांसफर के रूप में की गयी किन्तु कर निर्धारण के समय तक उक्त बिक्री के समर्थन में एफ फार्म प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण कर निर्धारण अधिकारी ने स्व कर निर्धारण योजना के अन्तर्गत पृथक-पृथक कर निर्धारण आदेश केन्द्रीय अधिनियम की धारा 9(2) व अधिनियम की धारा 29 के अन्तर्गत क्रमशः

लगातार.....2.

Amrinder
18/08/17

JK

दिनांक 03.08.2005, 28.01.2006, एवं 31.03.2008 को पारित करते हुए निम्न तालिका के अनुसार कर व ब्याज आरोपित किया गया है, जिसके विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपीलों में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कर एवं ब्याज को अपास्त किया गया है :-

अपील सं.	अपीलीय अधिकारी का आदेश दिनांक	कर निर्धारण वर्ष	कर	ब्याज	शास्ति धारा 58
2169/2008	28.12.2007	2002-03	9,36,231/-	4,91,521/-	-
2170/2008	28.12.2007	2003-04	9,18,731/-	3,58,305/-	-
309/2009	24.10.2008	2004-05	8,05,417/-	2,41,625/-	-
310/2009	24.10.2008	2005-06	3,41,715/-	1,29,514/-	1680/-

4. अपीलार्थी राजस्व के विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक द्वारा कथन किया कि आलोच्य अवधि 2002-03, 2003-04, 2004-05 एवं 2005-06 की अवधि के दौरान प्रत्यर्थी व्यवहारी क्रमशः रुपये 9,36,20,308/-, रुपये 91,87,312.45, रुपये 8,05,417/- एवं रुपये 43,17,150/- के बिक्री स्टॉक ट्रांसफर के रूप में की गयी किन्तु कर निर्धारण के समय तक उक्त बिक्री के समर्थन में 'एफ' फार्म प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण कर निर्धारण अधिकारी ने स्व कर निर्धारण योजना के अन्तर्गत पृथक-पृथक कर निर्धारण आदेश पारित उपरोक्त तालिका के अनुसार कर, ब्याज एवं शास्ति का आरोपण किया है, जो पूर्णतः उचित है। आगे यह कथन किया गया है कि चूंकि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अधिसूचना दिनांक 12.08.1980 के अन्तर्गत अतिरिक्त उत्पाद शुल्क चुकाये जाने का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया, इस कारण प्रत्यर्थी के विरुद्ध कायम की गई कर व ब्याज की मांग उचित है। अपीलीय अधिकारी द्वारा अविधिक रूप से कर व ब्याज को अपास्त किया गया। उक्त कथन के साथ विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने राजस्व की ओर से प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेशों को अपास्त किये जाने का निवेदन किया गया।
5. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा कथन किया गया कि प्रत्यर्थी का उत्पादन वुवन लेबल कॉटन उत्पादन की श्रेणी में आता है तथा इस पर Additional excise duty लागू (leviable) होने के कारण अधिसूचना दिनांक 12.08.1980 एवं 27.03.1995 के अनुसार कोई कर देय नहीं है। अतिरिक्त उत्पाद शुल्क की दर शून्य होने के कारण यह नहीं कहा जा सकता कि ऐसा उत्पाद अतिरिक्त उत्पाद शुल्क से मुक्त है। प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपने तर्क के समर्थन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय 1996 (83) ई.एल.टी. 3 (एससी) का उल्लेख करते हुए कथन किया है कि उक्त निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि "Nil rate of duty is also a rate of duty". माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त अभिनिर्धारण के आधार पर माननीय राजस्थान कर बोर्ड


Amir Khan
18/08/17

206

लगातार.....3.

की खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या 239/2000 व 240/2000/अलवर एवं प्रत्याक्षेप संख्या 602/2000 एवं 603/2000/अलवर में पारित निर्णय दिनांक 06.08.2003 का उल्लेख करते हुए प्रत्यर्थी के अभिभाषक ने यह कथन किया है कि उक्त निर्णय में किये गये अभिनिर्धारण के अनुसार भी प्रत्यर्थी द्वारा प्रश्नगत उत्पाद पर कोई कर देय नहीं है। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित नहीं किये जाने से उसके आदेशों में हस्तक्षेप किये जाने का कोई आधार उपलब्ध नहीं है। उक्त तर्क के साथ राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

6. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा बिक्री, स्टॉक ट्रॉन्सफर के रूप में की गयी किन्तु कर निर्धारण के समय "एफ" फार्म प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर व ब्याज आरोपित किया गया। अपीलीय अधिकारी ने आक्षेपित आदेश दिनांक 28.12.2007 द्वारा बिक्रीत वस्तु पर कर देय नहीं होने के कारण व्यवहारी द्वारा स्टॉक ट्रॉन्सफर के समर्थन में "एफ" फार्म प्रस्तुत नहीं करने से उस पर आरोपित अतिरिक्त कर व ब्याज को अपास्त कर दिया गया।
7. उक्त प्रकरणों में व्यवहारी का उत्पाद वुवन लेबल कॉटन उत्पाद (cotton fabric) होने के संबंध में कोई विवाद नहीं है। उक्त प्रकरणों में इस बिन्दु को भी विवादित नहीं किया गया है कि प्रत्यर्थी के उत्पाद पर उत्पाद शुल्क leviable है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अंकेक्षण दल की इस आपत्ति के आधार पर कर व ब्याज का अधिरोपण किया जाना प्रकट होता है कि प्रत्यर्थी द्वारा प्रश्नगत अवधि में उसके उत्पाद पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क चुकाये जाने का प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है। राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या F.4(11) FDGr.IV/95-86 दिनांक 27.03.1995 अन्तर्गत धारा 4(2) राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 के द्वारा अधिसूचना दिनांक 12.08.1990 का अधिक्रमण करते हुए कॉटन उत्पाद, जिस पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क देय है, को कर मुक्त किया गया है। इसी प्रकार अधिसूचना संख्या F.4(11)FDGr.IV/95-87 दिनांक 27.03.1995 अन्तर्गत धारा 8(5) केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत भी ऐसे कॉटन उत्पाद जिस पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क देय है, को कर के भुगतान से मुक्त किया गया है। जहां किसी वस्तु पर उत्पाद शुल्क देय है किन्तु उत्पाद शुल्क की दर शून्य है, ऐसी दशा में स्वाभाविक रूप से उत्पाद शुल्क का भुगतान किया जाना अपेक्षित/ सम्भव नहीं है।
8. इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Collector of C.Ex., Hyderabad Vs Vazir Sultan Tobacco Co Ltd. 1996(83) ई.एल.टी. 3 (एससी) में प्रतिपादित सिद्धान्त का उल्लेख किया जाना समीचीन है :-


18/08/17




लगातार.....4.

"That was a case where the goods were excisable goods prior to March 1, 1987, though by virtue of an exemption notification, the rate of duty was nil. This does not mean that they were not excisable goods. They were excisable goods. Nil rate of duty is also a rate of duty."

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त अभिनिर्धारण से स्पष्ट है कि excise duty शून्य होने का यह अर्थ नहीं है कि वह माल excisable goods नहीं है तथा शून्य शुल्क दर (NIL Rate of Duty) भी एक शुल्क दर है। इस प्रकार Excise Duty शून्य होते हुए भी माल Excisable Goods होता है। वर्तमान प्रकरणों में प्रत्यर्थी व्यवहारी के उत्पाद Excisable Goods हैं किन्तु इस पर उत्पाद शुल्क की दर शून्य होने के कारण उसके द्वारा कोई उत्पाद शुल्क नहीं चुकाया गया और जब उत्पाद शुल्क की दर शून्य होने के कारण कोई उत्पाद शुल्क चुकाया ही नहीं गया तो ऐसी स्थिति में उत्पाद शुल्क चुकाये जाने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

9. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय 1996 (83) ई.एल.टी. 3 (एससी) में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार राजस्थान कर बोर्ड द्वारा न्यायिक दृष्टांत अपील संख्या 1179/2003/जयपुर निर्णय दिनांक 03.01.2005, 11 Tax Update Page 59 (RTB DB), अपील संख्या 2770/2005/जयपुर निर्णय दिनांक 07.12.2007 20 Tax Update Page 228 (RTB) तथा राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ के न्यायिक दृष्टांत अपील संख्या 249/2000/अलवर सहायक आयुक्त भीवाड़ी बनाम मैसर्स अल्फा वूवन लेबल्स इण्डिया प्रा. लि. (2003) 16 एस.टी.टी. 72 (RTB) में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि excise duty शून्य होने पर भी वह माल excisable goods है क्योंकि शून्य शुल्क दर (NIL Rate of Duty) भी एक शुल्क दर है। राजस्थान कर बोर्ड के निर्णय (2003) 16 एस.टी.टी. 72 (RTB) की पुष्टि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत SB Sales Tax Revision Pt.No. 298/2011 निर्णय दिनांक 13.04.2016 द्वारा की है। वर्तमान चारों प्रकरणों के तथ्य व न्यायिक दृष्टांतों के तथ्यों समान है तथा उनमें प्रतिपादित सिद्धान्त से आच्छादित है।
10. अपीलीय अधिकारी द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय 1996 (83) ई.एल.टी. 3 (एससी) एवं राजस्थान कर बोर्ड के निर्णय (2003) 16 एस.टी.टी. 72 (RTB) में प्रतिपादित सिद्धान्त के आधार पर तथा राजस्थान सरकार की अधिसूचना संख्या F.4(11)FDGr.IV/95-87 दिनांक 27.03.1995 द्वारा व्यवहारी का माल ऐसा कॉटन उत्पाद है जिसपर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क देय होने से कर मुक्त किये जाने के कारण प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा बिक्री वस्तु पर कर देय नहीं होना अभिनिर्धारित किया है तथा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आलोच्य अवधियों के दौरान प्रत्यर्थी द्वारा किये



18/08/17




लगातार.....5.

गये स्टॉक ट्रांसफर के समर्थन में 'एफ' फार्म प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण आरोपित कर एवं ब्याज तथा शारित्त उचित नहीं होना मानते हुए अपास्त किया गया। यह खण्डपीठ अपीलीय अधिकारी के उक्त निष्कर्ष से सहमत है। अपीलीय अधिकारी द्वारा उक्त न्यायिक दृष्टांतों के प्रतिपादित सिद्धान्तों के आलोक में कर निर्धारण अधिकारी के आदेश को अपास्त किये जाने में कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित नहीं की गयी है। अतः राजस्व द्वारा प्रस्तुत उक्त चारों अपीलें अस्वीकार किये जाने योग्य है।

11. परिणामस्वरूप अपीलार्थी राजस्व की ओर से प्रस्तुत चारों अपीलें अस्वीकार की जाती हैं तथा अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेशों की पुष्टि की जाती है।
12. निर्णय सुनाया गया।


(राजीव चौधरी)
सदस्य


(वी. श्रीनिवास)
अध्यक्ष